



No.3/7/2022-T&R
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Power / Vidyut Mantralaya
(T&R Division)

Most Immediate

2nd Floor, F-Wing, Nirman Bhawan,
New Delhi, Dated the 17th August, 2022

To

1. Chairperson, Central Electricity Authority, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi.
2. Secretary (Power/Electricity), all State Governments & Union Territory Administration as per mailing list.
3. Chairman of all State Power Utilities as per mailing list.
4. CMDs of all Power Utilities under the Ministry of Power as per mailing list.
5. Directors of IITs, NITs, IISc as per mailing list.
6. Chairman, BBMB/DVC
7. NPTI/DG, BEE/DG, CPRI/DG.
8. Secretary, CERC.
9. Chairman, Engineers India Limited.
10. Chairman, Council for Scientific & Industrial Research (CSIR).

Subject: Filling up of the post of Director General, Central Power Research Institute (CPRI), Bangalore in Level-15 (Rs.182200-Rs.224100) in the Pay Matrix on direct recruitment/ deputation basis - reg.

Madam / Sir,


I am directed to say that the post of Director General, CPRI in the Level-15 (Rs.182200-Rs.224100) in the Pay Matrix will be vacant on 01.12.2022. The post is to be filled on direct recruitment/ deputation basis.

2. The details of the conditions of eligibility, terms and conditions etc. for appointment to the post of DG, CPRI are given in Appendix. The vacancy is being advertised in Employment News / Rozgar Samachar and in selected National Dailies separately. The website <https://powermin.gov.in> and <https://www.cpri.res.in> may be visited for details and the format of the application.

3. It is requested that wide publicity may be given to this vacancy among eligible officers. It is requested that names of eligible and suitable officers who can be spared immediately on selection for appointment as DG, CPRI may be sponsored and their bio-data sent to us in the form as at Annexure-II (Parts A&B) (which may be downloaded from the above mentioned websites) along with their complete and up-to-date CR/APAR Dossiers, vigilance clearance and no penalty certificate so as to reach the undersigned within 30 days from the date of publication of advertisement in the Employment News. Applications received after the stipulated date or/and without the certificate in Part-B of the application would not be considered.

Encl: As Above

Yours faithfully,


(Vikrant Verma)

Under Secretary to the Government of India
Tel: 23063452

Copy along with Annexure – I (detailed advertisement) and Annexure - II (Parts A&B – Application Form) forwarded with the request to upload the advertisement on their respective websites:

1. Technical Director, NIC, DOP&T, Room No. 11/A, North Block, New Delhi,
2. Technical Director, NIC, Ministry of Power,
3. DG, CPRI

Appendix

Ministry of Power's Advertisement No.3/7/2022-T&R
CENTRAL POWER RESEARCH INSTITUTE (CPRI)
(An Autonomous Society under Govt. of India, Ministry of Power)

Applications are invited from Indian Citizens in the prescribed format for the post of Director General, CPRI, a premier research organization in electrical power engineering with Head Office at Bangalore. The post carries a scale of pay in Level-15 (Rs.182200-Rs.224100) in the Pay Matrix with usual allowances as per Central Government rules. The post is to be filled by direct recruitment / deputation.

Qualification / Experience

For Direct Recruitment

Essential: Masters Degree in Science (Physics/ Chemistry/ Material Science) or Bachelors Degree in Engineering/ Technology from a recognized University/Institute or equivalent with at least 15 years' of experience in any of the following fields:

- a) Design and/ or Construction and/ or Operation and Maintenance of generating stations.
- b) Design and/ or Construction and/ or Operation and Maintenance of transmission and/or supply of electricity
- c) Applied Research in the field of electricity.

Desirable: Ph.D in Science (Physics/ Chemistry/ Material Science) or Masters Degree in Engineering Technology (Electrical/ Mechanical/ Energy Studies/ Material Science) from a recognized University/ Institute. The candidate should have excellent academic record and possess administrative capabilities and demonstrated aptitude for R&D.

For Deputation: Officers under the Central/ State Govts./ Electricity Boards/ Universities/ Public Sector Undertakings/ Statutory /Semi-Govt. or Autonomous Organisations holding analogous posts on regular basis or with three years minimum service in the Level-14 (Rs.144200-Rs.218200) in the Pay Matrix or equivalent; and possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment as above.

Age Limit: Not exceeding 58 years, as on the closing date for receipt of applications, for both direct recruitment and deputation.

Applications complete in all respects in the prescribed format should reach the Director, T&R Division, Ministry of Power, 'F' Wing, 2nd Floor, Gate No.2, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011 **within 30 days from date of publication of advertisement in Employment News.** Candidates working in Central / State Govts. / Electricity Boards / Universities / Public Sector Undertakings / Statutory / Semi-Govt. or Autonomous Organisations should forward their applications through proper channel with Part (B) of the format duly completed. Advance copies shall not be entertained. Incomplete applications or the ones received after the prescribed date shall not be considered. Canvassing in any form will make the applicant liable for disqualification.

For more comprehensive details and the format of application, please visit the website of Ministry of Power (<https://powermin.gov.in>) or CPRI (<https://www.cpri.res.in>)

Ministry of Power's Advertisement No. 3/7/2022-T&R
CENTRAL POWER RESEARCH INSTITUTE (CPRI)
(An Autonomous Society under Govt. of India, Ministry of Power)

Applications are invited from Indian Citizens in the prescribed format for the post of Director General, CPRI, a premier research organization in electrical power engineering with Head Office at Bangalore. The post carries a scale of pay in Level-15 (Rs.182200-Rs.224100) in the Pay Matrix with usual allowances as per Central Government rules. The post is to be filled by direct recruitment / deputation.

2. Qualification / Experience:

For Direct Recruitment

Essential:

Masters Degree in Science (Physics/ Chemistry/ Material Science) or Bachelors Degree in Engineering/ Technology from a recognized University/Institute or equivalent with at least 15 years' of experience in any of the following fields:

- a) Design and/ or Construction and/ or Operation and Maintenance of generating stations.
- b) Design and/ or Construction and/ or Operation and Maintenance of transmission and/or supply of electricity
- c) Applied Research in the field of electricity.

Desirable:

Ph.D in Science (Physics/ Chemistry/ Material Science) or Masters Degree in Engineering/ Technology (Electrical/ Mechanical/ Energy Studies/ Material Science) from a recognized University/ Institute. The candidate should have excellent academic record and possess administrative capabilities and demonstrated aptitude for R&D.

For Deputation

Officers under the Central State Govts./ Electricity Boards/ Universities/ Public Sector Undertakings/ Statutory/ Semi-Govt. or Autonomous Organisations :

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis or
(ii) with three years minimum service in the Level-14 (Rs.144200-Rs.218200) in the Pay Matrix or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment as above.

3. Tenure:

For Direct Recruitment

The term of appointment in case of persons appointed on direct recruitment shall be three years, extendable upto five years on the basis of recommendation of a 3 Member Committee consisting of the President, CPRI, Vice President, CPRI and one Member of the Governing Council of CPRI to be nominated by President, CPRI. The appointment on direct recruitment basis shall be for a maximum tenure of 5 years or till attaining the age of superannuation, whichever is earlier. The age of superannuation in CPRI is 60 years.

A performance review on completion of one year of service after appointment as DG CPRI will also be undertaken by a 3 Member Committee consisting of the President, CPRI, Vice President, CPRI and one member of the Governing Council of CPRI to be nominated by the President, CPRI. The outcome will be communicated and it will be binding on the incumbent.

For Deputation

The period of deputation shall be 3 years extendable upto 5 years on the basis of recommendation of a 3 Member Committee consisting of the President, CPRI, Vice President, CPRI and one Member of the Governing Council of CPRI to be nominated by President, CPRI, (Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Deptt., of the Central Govt. shall not ordinarily exceed 3 years). The appointment on deputation basis shall be for a maximum tenure of 5 years or till attaining the age of superannuation, whichever is earlier. The age of superannuation in CPRI is 60 years.

(Note: Qualifications and Experience above are the minimum and mere possession of the same would not entitle any candidate for being short-listed. Government reserves the right to reject, without assigning any reason therefore, any or all the applications received).

4. **Age Limit:** Not exceeding 58 years, as on the closing date for receipt of applications, for both direct recruitment and deputation.

5. **Central Power Research Institute (CPRI):**

CPRI was established in the year 1960 by the Government of India and was reorganized into a Society during 1978. The main objectives of the Institute is to serve as a national laboratory for undertaking applied research in electrical power engineering besides functioning as an independent testing and certification authority for electrical equipment and components to ensure reliability and improve, innovate and develop new products.

As a premier research organization in the field of power engineering, the Institute has several research laboratories and testing installations in different specialized fields. The Head Office of the CPRI is at Bangalore where most of the laboratories are established. Other units are at Bhopal, Hyderabad, Nagpur, NOIDA, Kolkatta and Guwahati.

6. **Job Description of Director General, CPRI:**

The CPRI is administrated through Governing Council. The Secretary, Ministry of Power is the President of the Governing Council. Being the Principal Executive Officer of the organization, Director General, CPRI has an important role to play in the power sector by giving impetus to Testing, Research and Development. The responsibilities of the Director General, CPRI include:

- a. Proper administration of the affairs of the Society under the direction and guidance of the Governing Council;
- b. Exercising such supervision and disciplinary control as may be necessary subject to the rules and the bye-laws, over the officers and the staff of the Society for optimal utilization of the resources;
- c. Co-ordinating and exercising general supervision over all scientific and industrial research, testing and other activities under the Society.

7. **Powers of the Director General:**

The Director General for all matters under his charge has powers similar to the powers of a Head of the Department under the Government of India, exercising his powers under the direction, superintendence and control of the President of the Society.

The terms and conditions of the candidate selected for appointment (direct recruit) as Director General, CPRI, will be as under:

- i. Appointment to the post of Director General, CPRI will be regulated by the provisions contained in the Memorandum of Association, Rules & Regulations of the CPRI and the other relevant rules and instructions applicable to the CPRI.
- ii. Pay will be fixed according to rules, in the Level-15 (Rs.182200-Rs.224100) in the Pay Matrix and he would also be entitled to draw allowances as admissible to officers of his grade under the CPRI from time to time.
- iii. The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

8. **Residential Accommodation:** Residential Accommodation at the Headquarter in Bangalore will be provided to the officer selected subject to the rules and regulations of CPRI.

9. Other conditions of his service such as Provident Fund (NPS), LTC will be governed by the various relevant rules and orders applicable under the CPRI from time to time.

10. The applications are required to be furnished in the prescribed format given at Annexure-II (Parts-A&B).

11. Applications complete in all respects in the prescribed format should reach the **Director, T&R Division, Ministry of Power, 'F' Wing, 2nd Floor, Gate No.2, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011** within 30 days from date of publication of advertisement in **Employment News**.

Candidates working in Central/ State Govts./ Electricity Boards/ Universities/ Public Sector Undertakings/ Statutory/ Semi-Govt. or Autonomous Organisations should forward their applications through proper channel with Part (B) of the format duly completed. Advance copies shall not be entertained. Incomplete applications or the ones received after the prescribed date shall not be considered. Canvassing in any form will make the applicant liable for disqualification.

PART-A

Application for appointment to the post of Director General, Central Power Research Institute,
Bangalore

1. a) Name
b) Nationality
2. Date of Birth
Age as on the closing date for receipt of application
3. Details of any organized service / cadre to
which you belong including year of Allotment
4. Present Designation
5. Scale of post held
6. Details of present emolument with effect from
Basic Pay
Grade Pay/Level in the Pay Matrix
Dearness Allowance
Details of other allowances

Total emoluments
7. a) Whether the present post held on regular basis Yes / No
b) Whether your organization would allow retention
of lien on this post in case of deputation Yes / No
8. a) If no to 7(a) above, give details of post held on regular basis
b) Whether your organization would allow retention of lien
on this post in case of deputation to CPRI Yes / No
9. Educational Qualifications

Qualifications possessed
by the applicant, which
are equivalent or higher
than the qualification
prescribed

Essential :

Desirable :

10. Details of position held earlier and relevant to the post applied for

Post held & complete scale of pay	Office	Period From	To	Nature of the job	Special contributions made

11. Details of training received relevant to the post applied for

Name of training programme	Institute where training was received	Period of Training	Nature of the training	Achievement

12. Name of office with complete address

Telephone	Fax

13. Complete residential address

Email:	
Telephone	Fax

14. Category :

SC/ST/OBC/General Category

15. If selected, minimum time required to join

16. List of publications / academic honours received

17. My application may be considered for appointment as Director General, CPRI on direct recruitment basis* / Deputation basis *

18. Signature of the applicant with date:

* Strike out whichever is not applicable.

PART-B

Name of the Organisation:

It is certified that:-

1. The date of birth, qualification, experience and other details given by *Shri Smt./Kum..... in Part - A of this application for the post of Director General, Central Power Research Institute have been verified and found to be correct.
2. The Integrity of *Shri / Smt. / Kum..... is beyond doubt.
3. No vigilance or disciplinary proceedings is either pending or contemplated against the officer.
4. The Ministry of Power will be informed at the earliest, if any vigilance or disciplinary proceeding is initiated or contemplated against the officer after his/ her application is forwarded;
5. Attested copies of ACRs/APARs of the Officer for the year 2015-16 onwards are enclosed.
6. In case of selection *Shri/Smt./Kum..... Would be allowed to retain lien in his/her regular post of during the period of his/her appointment as Director General, CPRI on deputation basis (in case of applicants to be considered on deputation basis).
7. It is certified that no penalty (major/minor) have been imposed on Shri/Smt./Kum. in the last ten (10) years'.

OR

A statement of major/minor penalty..... (specify the penalty) imposed on Shri/Smt./Kum. in the last ten (10) years' is enclosed.

* Strike out whichever is not applicable.

Organisation Ref. No.

Date:

Address:

Signature of the authorized Officer
(Name & Designation)
Seal of the Officer

Full address of the authorized officer
(with Telephone Fax No.)

विद्युत मंत्रालय विज्ञापन सं. 3/7/2022-टी एंड आर
केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी पी आर आई)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त सोसाइटी)

भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में सी पी आर आई, जो विद्युत शक्ति इंजीनियरी में अग्रणी अनुसंधान संगठन है, और जिसका मुख्यालय बेंगलूर में है, के महानिदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस पद का वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य भत्तों सहित पे-मैट्रिक्स के लेवल-15 में (रुपये 182200-रुपये 224100) है। पद को सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना है।

अर्हता/अनुभव
सीधी भर्ती के मामले में

अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विज्ञान (भौतिकी / रसायन / सामग्री विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री अथवा समतुल्य के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी में 15 वर्षों का न्यूनतम अनुभव:

- (क) उत्पादन केन्द्रों का अभिकल्प तथा / अथवा निर्माण तथा / अथवा प्रचालन तथा अनुरक्षण।
- (ख) विद्युत परिषण तथा / अथवा आपूर्ति का अभिकल्प तथा / अथवा निर्माण तथा / अथवा प्रचालन एवं अनुरक्षण।
- (ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान।

वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विज्ञान (भौतिकी / रसायन / सामग्री विज्ञान) में पीएचडी अथवा इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी (विद्युत / यांत्रिक / ऊर्जा अध्ययन / सामग्री विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री। आवेदक उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ प्रशासनिक क्षमता रखता हो तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए रुझान रखता हो।

प्रतिनियुक्ति के लिए: केन्द्र / राज्य सरकार / विद्युत बोर्ड / विश्वविद्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / सांविधिक / अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो नियमित आधार पर समान पदधारी हो अथवा पे-मैट्रिक्स के लेवल-14 में (रुपये 144200 - रुपये 218200) अथवा समतुल्य में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव, तथा यथोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हों।

आयु सीमा: आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक, सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति दोनों के लिए, 58 वर्षों से अधिक न हो।

निर्धारित प्रपत्र में सभी तरह से पूर्ण आवेदन रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर निदेशक, टीएंडआर डिवीजन, विद्युत मंत्रालय, 'एफ' विंग, दूसरा तल, गेट सं. 2, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 के पास पहुंच जाने चाहिए। केन्द्र / राज्य सरकार / विद्युत बोर्ड / विश्वविद्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / सांविधिक / अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अभ्यर्थी प्रपत्र के भाग (ख) को विधिवत् रूप से भरकर उचित माध्यम से आवेदन अग्रेषित करें। अग्रिम प्रतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों अथवा निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का पक्ष प्रचार अभ्यर्थी को अनर्ह बनाएगा।

अधिक विस्तृत ब्योरे के लिए तथा आवेदन के प्रारूप हेतु कृपया विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट (<https://powermin.gov.in>) अथवा सी पी आर आई (<https://www.cpri.res.in>) देखें।

विद्युत मंत्रालय विज्ञापन सं. 3/7/2022-टी एंड आर
 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी पी आर आई)
 (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त सोसाइटी)

भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में सी पी आर आई, जो विद्युत शक्ति इंजीनियरी में अग्रणी अनुसंधान संगठन है, और जिसका मुख्यालय बेंगलूर में है, के महानिदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस पद का वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य भत्तों सहित पे-मैट्रिक्स के लेवल-15 में (रुपये 182200-रुपये 224100) है। पद को सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाता है।

2. अर्हता/अनुभव :
 सीधी भर्ती के मामले में

अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विज्ञान (भौतिकी / रसायन / सामग्री विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री अथवा समतुल्य के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी में 15 वर्षों का न्यूनतम अनुभव:

- (क) उत्पादन केन्द्रों का अभिकल्प तथा / अथवा निर्माण तथा / अथवा प्रचालन तथा अनुरक्षण।
 (ख) विद्युत पारेषण तथा / अथवा आपूर्ति का अभिकल्प तथा / अथवा निर्माण तथा / अथवा प्रचालन एवं अनुरक्षण।
 (ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान।

बांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विज्ञान (भौतिकी / रसायन / सामग्री विज्ञान) में पीएचडी अथवा इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी (वैद्युत / यांत्रिक / ऊर्जा अध्ययन / सामग्री विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री। आवेदक उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ प्रशासनिक क्षमता रखता हो तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए सज्जान रखता हो।

प्रतिनियुक्ति के लिए

केन्द्र / राज्य सरकार / विद्युत बोर्ड / विश्वविद्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / सांविधिक / अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:

- (क) (i) जो नियमित आधार पर समान पदधारी हो अथवा
 (ii) पे-मैट्रिक्स के लेवल-14 में (रुपये 144200 - रुपये 218200) अथवा समतुल्य में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव; तथा
 (ख) सीधी भर्ती के लिए यथोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हों।

3. कार्यकाल :

सीधी भर्ती के मामले में

सीधी भर्ती पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी, जिसे अध्यक्ष, सीपीआरआई, उपाध्यक्ष, सीपीआरआई तथा अध्यक्ष, सीपीआरआई शासी परिषद द्वारा नामित किए जाने वाले शासी परिषद के एक सदस्य से गठित 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक होगी। सीपीआरआई में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

महानिदेशक, सीपीआरआई के तौर पर नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर अध्यक्ष, सीपीआरआई, उपाध्यक्ष, सीपीआरआई तथा अध्यक्ष, सीपीआरआई द्वारा नामित शासी परिषद के एक सदस्य से गठित 3 सदस्यों की समिति द्वारा निष्पादन समीक्षा की जाएगी। परिणाम से पदधारी को अवगत कराया जाएगा, जो उन पर बाध्यकारी होगा।

प्रतिनियुक्ति के लिए

प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी, जिसे अध्यक्ष (सीपीआरआई), उपाध्यक्ष (सीपीआरआई) तथा अध्यक्ष, सीपीआरआई शासी परिषद द्वारा नामित किए जाने वाले शासी परिषद के एक सदस्य से गठित 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। (इस नियुक्ति के तुरंत पहले केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्षों से

अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक होगी। सीपीआरआई में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

(टिप्पणी : उपर्युक्त अर्हताएं और अनुभव न्यूनतम हैं तथा उनके केवल होने मात्र से ही कोई आवेदक चयनित सूची में रखे जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता। सरकार बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार रखती है।)

4. आयु सीमा: आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर, सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति दोनों के लिए, 58 वर्ष से अधिक नहीं।

5. केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) :

सीपीआरआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में की गई तथा 1978 के दौरान इसका सोसाइटी में पुनर्गठन करा गया। संस्थान का मुख्य उद्देश्य है, विद्युत शक्ति इंजीनियरी में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के अलावा विद्युत उपकरण और संघटकों के लिए स्वतंत्र परीक्षण तथा प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करना ताकि विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते हुए सुधार, नवाचार लाया जा सके और नए उत्पादों का विकास किया जा सके।

विद्युत इंजीनियरी के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संगठन होने के कारण विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थान की अनेक अनुसंधान प्रयोगशालाएं और परीक्षण अधिष्ठापन हैं। सीपीआरआई का मुख्यालय बेंगलूरु में है जहाँ अधिकतर प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। अन्य एकक भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, नोएडा, कोलकाता और गवाहाटी में हैं।

6. महानिदेशक, सीपीआरआई का कार्य विवरण:

सीपीआरआई का प्रशासन शासी परिषद करती है। सचिव, विद्युत मंत्रालय शासी परिषद के अध्यक्ष हैं। संगठन का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होने के नाते महानिदेशक, सीपीआरआई विद्युत क्षेत्र में परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। महानिदेशक, सीपीआरआई के कार्य दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- क) शासी परिषद के निर्देशन और मार्गदर्शन में सोसाइटी के कार्यों का उचित प्रशासन।
- ख) संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सोसाइटी के अधिकारियों और स्टाफ पर नियमों और अधिनियमों के अधीन, यथावश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुशासनिक नियंत्रण रखना।
- ग) सोसाइटी के अंतर्गत सभी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, परीक्षण तथा अन्य क्रियाकलापों का समन्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण करना।

7. महानिदेशक के अधिकार :

सभी मामलों में महानिदेशक को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो भारत सरकार के अधीन एक विभागाध्यक्ष को प्राप्त होते हैं तथा सोसाइटी के अध्यक्ष के निर्देशन, अधीक्षण एवं नियंत्रण में अपने अधिकारों का वे प्रयोग करते हैं।

महानिदेशक, सीपीआरआई की नियुक्ति (सीधी भर्ती) के लिए चुने गए अभ्यर्थी की निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :

- i. महानिदेशक, सीपीआरआई के पद पर नियुक्ति संगम ज्ञापन में शामिल प्रावधानों, सीपीआरआई के नियम एवं विनियमों तथा सीपीआरआई पर लागू अन्य नियमों एवं अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।
- ii. वेतन पे-मैट्रिक्स के लेवेल-15 में (रुपये 182200 - रुपये 224100) नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा एवं वे समय-समय पर सीपीआरआई में अपने ग्रेड के अधिकारियों को यथास्वीकार्य भत्तों को प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- iii. नियुक्ति में भारत के किसी भी भाग में काम करने का दायित्व शामिल है।

8. आवासीय व्यवस्था : चुने गए अधिकारी के लिए सीपीआरआई के नियमों एवं विनियमों के अधीन बेंगलूरु के मुख्यालय में आवासीय व्यवस्था की जाएगी।

9. उनकी अन्य सेवा शर्तें जैसे भविष्य निधि, छुट्टी यात्रा रियायत समय-समय पर सीपीआरआई के अधीन लागू विभिन्न संगत नियमों और आदेशों से नियंत्रित होंगी।

10. संलग्नक-II (भाग क एवं ख) में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भेजा जाना है।

11. निर्धारित प्रपत्र में सभी तरह से पूर्ण आवेदन रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर निदेशक, टीएंडआर प्रभाग, विद्युत मंत्रालय, एफ विंग, दूसरा तल, गेट सं.2, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 को पहुंच जाने चाहिए।

केंद्र/राज्य सरकार/विद्युत बोर्ड/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/साविधिक/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अभ्यर्थी प्रपत्र के भाग (ख) को विध्वस्त भरकर उचित माध्यम से अपना आवेदन अर्पित करें। अग्रिम प्रतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का पक्ष-प्रचार अभ्यर्थी को अनर्ह बनाएगा।

भाग-क

महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन

1. (क) नाम
(ख) नागरिकता
2. जन्म तिथि
आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को आयु
3. अगर किसी संगठित सेवा/संवर्ग के हो तो
आबंटन वर्ष सहित विवरण
4. वर्तमान पदनाम
5. वर्तमान पद का वेतनमान
6. वर्तमान परिलब्धियों के ब्यौरे
प्रभावी तारीख
मूल वेतन
ग्रेड वेतन/ पे मैट्रिक्स में लेवल
महंगाई भत्ता
अन्य भत्तों के ब्यौरे

कुल परिलब्धियां
7. (क) क्या वर्तमान पद नियमित आधार पर है: हाँ/नहीं
(ख) क्या प्रतिनियुक्ति के मामले में आपका : हाँ/नहीं
संगठन इस पद के पुर्ग्रहणाधिकार को
रखने की अनुमति देगा
8. (क) यदि 7(क) का उत्तर नहीं है तो नियमित
आधार पर पद का ब्यौरा दें।
(ख) सीपीआरआई में प्रतिनियुक्ति के मामले में क्या : हाँ/नहीं
आपका संगठन इस पद के पुर्ग्रहणाधिकार को
रखने की अनुमति देगा
9. शैक्षिक अर्हताएं : अभ्यर्थी की अर्हताएं, जो निर्धारित अर्हता के समतुल्य या
उच्चतर हों

अनिवार्य :

वांछनीय :

10. पूर्वधारित पद तथा आवेदित पद के संगत ब्यौरे :

धारित पद तथा पूरा वेतनमान	कार्यालय	अवधि से तक	कार्य की प्रकृति	दिया गया विशेष योगदान

11. आवेदित पद से संगत प्राप्त प्रशिक्षण के ब्यौरे:

प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्यौरे	संस्थान जहां से प्रशिक्षण लिया गया	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की प्रकृति	उपलब्धियाँ

12. कार्यालय का पूरा नाम तथा पूरा पता

टेलीफोन	फैक्स

13. पूरा निवासीय पता

ई-मेल	फैक्स
टेलीफोन	फैक्स

14. वर्ग : अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग

15. यदि चुने गए तो कार्यभार ग्रहण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय

16. प्रकाशनों/प्राप्त शैक्षणिक सम्मानों की सूची

17. महानिदेशक, सीपीआरआई के पद के लिए मेरे आवेदन पर विचार करें: सीधी भर्ती आधार पर/प्रतिनियुक्ति आधार पर

18. तारीख सहित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :

जो लागू न हो उसे काट दें।

भाग-ख

संगठन का नाम :

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (1) महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के पद के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा इस आवेदन के भाग-क में दी गई जन्म तिथि, अर्हता, अनुभव तथा अन्य ब्यौरों की जांच की गई व सही पाए गए।
- (2) श्री/श्रीमती/कुमारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।
- (3) अधिकारी के खिलाफ न तो कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है और न ही विचारणीय है।
- (4) अधिकारी के आवेदन के अग्रप्रेषण के बाद अगर उनके खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई या शुरू करने का विचार किया गया, तो तत्काल विद्युत मंत्रालय की सूचित किया जाएगा।
- (5) 2015-16 से लेकर अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं।
- (6) चयन किए जाने पर श्री/श्रीमती/कुमारी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर महानिदेशक, सीपीआरआई की नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके नियमित पद के पुनर्ग्रहणाधिकार को रखने की अनुमति दी जाएगी। (प्रतिनियुक्ति के आधार पर अभ्यर्थियों पर विचार करने के मामले में)
- (7) यह प्रमाणित किया जाता है की श्री/श्रीमती/कुमारी के विरुद्ध विगत दस (10) वर्षों में बड़ी/ छोटी कोई शास्ति नहीं लगाई गई है,

अथवा

पिछले दस (10) वर्षों में श्री/श्रीमती/कुमारी पर लगाई गई बड़ी/ छोटी शास्ति..... (शास्ति बताएं) का विवरण संलग्न है।

जो भी लागू न हो उसे काट दें।

संगठन की संदर्भ संख्या :

तारीख :

पता :

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

अधिकारी की मोहर

प्राधिकृत अधिकारी का पूरा पता
(टेलीफोन/फैक्स नं. सहित)